पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1626
दिनांक-07.09.2026

राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मीडिएशन-3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की अनूठी पहल — डायल-112 की PRV वाहनों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए किया गया रवाना

- *न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन की साझी पहल, न्याय की जानकारी अब गांव-गांव, जन-जन तक*
- *सुलह-समझौते से विवादों का समाधान, लोक अदालत में शीघ्र न्याय का अवसर*
- *राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ मीडिएशन-3.0 का भी व्यापक प्रचार।*
- *डायल-112 की PRV वाहनों के जरिए शहर के साथ-साथ गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचार।*
- *12 सितम्बर 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान।*
- *पुलिस एवं न्यायपालिका के समन्वय से लंबित एवं सुलहनीय मामलों के सरल, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु आमजन को प्रेरित किया जाएगा।*
- *PRV वाहनों को न्यायिक जागरूकता के माध्यम के रूप में उपयोग कर न्याय की पहुंच आमजन तक सुनिश्चित करने की पहल।*

लखनऊ। आगामी **12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत** के संबंध में आमजन को जागरूक करने तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता अभियान** प्रारम्भ किया गया है।

इसी क्रम में आज **जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर** से डायल-112 की **PRV वाहनों को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मीडिएशन-3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।**

श्री मलखान सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं **श्रीमती किरन यादव, IPS**, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वाहनों को **हरी झंडी दिखाकर** रवाना किया गया।

इस पहल के माध्यम से न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन का संयुक्त प्रयास है कि **राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी केवल शहर तक सीमित न रहे, बल्कि लखनऊ के ग्रामीण, दूरस्थ एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आमजन तक भी पहुंचे**, जिससे लोग अपने लंबित एवं सुलहनीय मामलों के निस्तारण के इस सरल और प्रभावी माध्यम का अधिकतम लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आमजन को किया जा रहा जागरूक-

राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए विभिन्न प्रकार के **सुलहनीय एवं लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण** कराया जा सकता है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में *दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, बैंक एवं वित्तीय विवाद, उपभोक्ता विवाद, राजस्व वाद, चालानी वाद सहित विभिन्न सुलहनीय मामलों के निस्तारण हेतु आमजन को जागरूक किया जा रहा है।*

गांव-गांव एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी लोक अदालत की जानकारी-

- **डायल-112 की PRV वाहनों के माध्यम से लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार** किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
- विशेष रूप से **ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जागरूक** किया जाएगा, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति लोक अदालत के लाभ से वंचित न रहे।
- PRV वाहनों के माध्यम से आमजन को **12 सितम्बर 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत** में अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण कराने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
- **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लखनऊ पुलिस के समन्वित प्रयास** से न्यायिक जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास पुलिस एवं न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय का प्रभावी उदाहरण है।
- अभियान के दौरान आमजन को **आपसी सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान** के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण एवं शीघ्र समाधान संभव हो सके।
- इस अभियान के माध्यम से लोगों को **मीडिएशन-3.0** के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर कर पक्षकारों की सहमति से विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मीडिएशन-3.0 के माध्यम से भी विवादों के समाधान का प्रयास-

राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ **मीडिएशन-3.0 अभियान** के अंतर्गत भी लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर किए जाने हेतु जागरूकता बढ़ाई जा रही है। **01 अगस्त से 30 सितम्बर 2026 तक मामलों के रेफरल** तथा इसके पश्चात **01 अक्टूबर से 30 दिसम्बर 2026 तक मीडिएशन प्रक्रिया** के माध्यम से मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

इसका उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करने का अवसर उपलब्ध कराना तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है।

माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ, श्री मलखान सिंह का आमजन के लिए संदेश-

"राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को अपने लंबित विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान प्राप्त करने का अवसर देती है। न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि इसकी जानकारी गांव-गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। आम जनता से अनुरोध है कि वे आगामी 12 सितम्बर को आयोजित लोक अदालत का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराएं।"

दिनांक 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए जनपद न्यायालय एवं लखनऊ पुलिस के द्वारा पीआरवी वाहनों के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है।

हमारा प्रयास है कि लोक अदालत का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वे अपने लंबित मामलों का आसानी से समाधान करा सकें।

हम आमजन से अपील करते हैं कि इस अवसर का लाभ उठाएं और लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने मामलों के निस्तारण के लिए आगे आएं।

न्याय को लोगों तक पहुँचाना ही नहीं, बल्कि लोगों को न्याय तक पहुँचने का मार्ग बताना भी हमारी जिम्मेदारी है।

- श्रीमती किरन यादव, IPS

(नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय लोक अदालत, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ)

लखनऊ पुलिस की अपील-

लखनऊ पुलिस की अपील है कि आगामी 12 सितम्बर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए आगे आएं।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण-

- **श्री मलखान सिंह**, माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ
- **श्री कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा**, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ
- **श्रीमती किरण यादव, IPS**, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अन्य अधिकारीगण**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1627
दिनांक-07.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम की सफलता।**
- **अवैध हुक्का बार के विरुद्ध कार्यवाही , 13 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध तम्बाकू उत्पाद व हुक्का बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण--

आज दिनांक 07.09.2026 को ठाकुरगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि द राशा कैफे निकट चोर घाटी के पास चौकी रिंगरोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा है। जहाँ कम उम्र के लड़कों को लाइसेंस होने का झांसा देकर बुलाया जाता है तथा उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है।

उक्त सूचना का ठाकुरगंज पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया व मौके पर दबिश दी गयी तो 1.मो0 एहतिशाम 02.फरहान खान 3.मो0 फरमान 04.तौकीर अहमद 5. मो0 साद 6. मुस्तफा 7.मो0 अनस 08.मो0 आमीर 09.अंकित कुमार 10.आजम 11.समीर 12.अमन चौधरी 13.मो0 अयान लोग मय 14 अदद हुक्के मय पाट व फ्लेवर सहित मौके से गिरफ्तार किये गये।

बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0582/2026 धारा-223/271 बीएनएस व 4/21 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम,2003 थाना ठाकुरगंज लखनऊ पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 एहतिशाम पुत्र इरफान निवासी ई 5095 राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र 32 वर्ष
2. फरहान खान पुत्र इरफान खान निवासी ई-5095 राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र 28 वर्ष
3. मो0 फरमान पुत्र मो0 मुनीर निवासी संजय नगर मोतीझील थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 18 वर्ष
4. तौकीर अहमद पुत्र इसरार अहमद निवासी 344/147 भवानीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष,
5. मो0 साद पुत्र मो0 एहतिशाम निवासी मलिकागेटी फाटक थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
6. मुस्तफा पुत्र स्व0 मो0 वसीम निवासी मलिकागेटी फाटक थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष
7. मो0 अनस पुत्र मो0 औसाफ निवासी बब्बू वाली गली डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष
8. मो0 आमीर पुत्र स्व0 मो0 सरीफ निवासी उदयगंज थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष
9. अंकित कुमार पुत्र स्व0 गंगा राम निवासी भवानी मार्केट जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
10. आजम पुत्र अकरम निवासी सेक्टर 6/617 जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
11. समीर पुत्र मो0 सलीम निवासी सुतुरखाना मकबुलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
12. अमन चौधरी पुत्र अब्दुल हलीम चौधरी निवासी 106/41 नजरबाग थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष
13. मो0 अयान पुत्र मो0 अजीम निवासी 107/84 ओडियन सिनेमा थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)---

01-मु0अ0सं0-0582/2026 धारा-223/271 बीएनएस व 4/21 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-बरामदगी का विवरण---

- 14 अदद छोटे बड़े हुक्के मय पाट,स्टेम,आइसपाट,चीलम, पाइप के
- 6 अतिरिक्त चिलम,
- तीन अतिरिक्त रबर पाइप
- दो छोटे बड़े हीटर,
- तीन चीमटी,
- तीन पैस सिल्वर फाइल
- 29 सील पैक फ्लेवर

05-पुलिस टीम का विवरण---

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 उ0नि0 आशीष सिंह प्रभारी चौकी रिंगरोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 मुदित राय प्रभारी चौकी भूहर थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
4. उ0नि0 राजीव प्रताप सिंह प्रभारी चौकी हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
5. उ0नि0 राहुल यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
6. उ0नि0 बीरेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
7. उ0नि0 दीपक कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
8. का0 दीप नारायण यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
9. का0 बृजेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
10. का0 का0 दान बहादुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
11. का0 सुनील कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
12. हे0का0 विनोद कुमार शर्मा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
13. हे0क0 उमराव यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
14. हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
15. का0 वीरेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
16. का0 नवीन कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

<u>पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ</u>

<u>प्रेस नोट सं0-1628</u>
<u>दिनांक–07.09.2026</u>

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- काकोरी क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः- 117(19)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत विपक्षी व अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-07.09.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वादसं0	नामपता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिलाबदर
काकोरी	1	117(19)/2026	संजय पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना काकोरी, लखनऊ उम्र 25 वर्ष	1	240/2024	305(ए)/317(2) बीएनएस	काकोरी	06 माह
				2	288/2024	305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस	काकोरी	
				3	304/2024	303(2)/317(2) बीएनएस	काकोरी	
				4	142/2025	303(2)/ बीएनएस	काकोरी	
				5	476/2025	303(2)/317(2) बीएनएस	काकोरी	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1627
दिनांक-07.09.2026

जोन- मध्य/ थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा दुकान में चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की नकदी ₹1,520/- सहित मसाले, मिक्स ड्राईफ्रूट एवं देशी घी बरामद किया गया।**

01- घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.09.2026 को वादी श्री आशुतोष गुप्ता, निवासी शॉप नं0-31, डंडहिया बाजार, थाना महानगर, लखनऊ द्वारा थाना महानगर पर तहरीर दी गई कि रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया गया तथा गल्ले में रखी करीब **₹40,000/- नकदी**, करीब **₹20,000/- से ₹25,000/- कीमत के ड्राईफ्रूट** एवं फ्रिज में रखा करीब **₹25,000/- से ₹30,000/- कीमत का सामान** चोरी कर लिया गया।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना महानगर पर **मु0अ0सं0 169/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा **3(5)/317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक 06.09.2026 की रात्रि को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे **सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश** की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों **अरशद अंसारी, आशीष यादव एवं समर उर्फ अमर** को झूलेलाल पार्क की तरफ से गोमती पुल के पास से समय करीब **19:52 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ एवं अपराध करने का तरीका

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 05.09.2026 की रात्रि में डंडहिया बाजार स्थित दुकान नं0-31 में चोरी की घटना कारित किया जाना बताया गया।

पूछताछ से यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त **आशीष यादव एवं समर उर्फ अमर चोरी की घटनाओं में पूर्व से संलिप्त रहे हैं**। अभियुक्तगण द्वारा चोरी के दौरान दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तथा नकदी एवं खाद्य सामग्री चोरी की गई।

03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **अरशद अंसारी पुत्र मोहम्मद अंसारी**, निवासी एचपी गैस एजेन्सी के सामने, हाता मंदिर के बगल में, थाना पारा, लखनऊ; स्थायी पता ग्राम नाजिर टोला कठवन, थाना पडैया हाट, जिला गोड्डा, झारखण्ड; उम्र करीब 30 वर्ष।
2. **आशीष यादव पुत्र राजेश यादव**, निवासी ग्राम सब्जी मण्डी, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली; वर्तमान पता हजरतगंज जीपीओ शौचालय; उम्र करीब 24 वर्ष।
3. **समर उर्फ अमर पुत्र घनश्याम**, निवासी घोड़ा अस्पताल, सदर कैण्ट, लखनऊ; उम्र करीब 24 वर्ष।

04-अभियुक्त आशीष यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 168/16 धारा 380 IPC, थाना अमीनाबाद।
2. मु0अ0सं0 186/16 धारा 401 IPC, थाना अमीनाबाद।
3. मु0अ0सं0 436/18 धारा 380/411/457 IPC, थाना गोमतीनगर।
4. मु0अ0सं0 1124/18 धारा 380/411/454 IPC, थाना गोमतीनगर।
5. मु0अ0सं0 1179/18 धारा 380/411/457 IPC, थाना गोमतीनगर।
6. मु0अ0सं0 1182/18 धारा 380/411/457 IPC, थाना गोमतीनगर।
7. मु0अ0सं0 1183/18 धारा 380/411/457 IPC, थाना गोमतीनगर।
8. मु0अ0सं0 355/24 धारा 305A/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना गोमतीनगर।
9. मु0अ0सं0 581/25 धारा 305A/317(2)/317(5)/331(2) बीएनएस, थाना गोमतीनगर।
10. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 305(a)/331(4)/3(5)/317(2) बीएनएस, थाना महानगर।

05-अभियुक्त समर उर्फ अमर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 581/25 धारा 305A/317(2)/317(5)/331(2) बीएनएस, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 305(a)/331(4)/3(5)/317(2) बीएनएस, थाना महानगर।

06- अनावृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 169/2026 धारा 305(a)/331(4)/3(5)/317(2) बीएनएस, थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

07- बरामदगी का विवरण

- ₹1,520/- नकद
- 02 पैकेट मसाला
- 02 डिब्बे मिक्स ड्राईफ्रूट
- 01 पैकेट देशी घी

08- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. **म0उ0नि0 सान्या निरंजन**, थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. **उ0नि0 आर्यन शर्मा**, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. **उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद**, थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. **आरक्षी मोहित सिंह**, थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. **आरक्षी वितेश**, थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1628
दिनांक-07/09/2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग में 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स, एलाय व्हील, टायर एवं HSRP नम्बर प्लेट बरामद की गई।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2026 को वादी राकेश कुमार कश्यप पुत्र खग्गा प्रसाद कश्यप पुत्र खग्गा प्रसाद कश्यप निवासी खसरा न0 184/प्लाट न0 27 गोरबीट सीतापुर श्याम बिहार कॉलोनी गोइला थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा अपनी मोटरसाइकिल सं-**UP32FD1363 Passion Pro** चोरी होने के संबंध में थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0-339/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 06.09.2026 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले मोटरसाइकिल चोरों से मिलते-जुलते 03 व्यक्ति कुकरैल जंगल रोड पर संदिग्ध अवस्था में मौजूद हैं तथा उनके पास बोरी में कुछ सामान है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर तीनों व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान **अमन, अमित एवं अतीक** के रूप में हुई।

अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की गई मोटरसाइकिल संख्या **UP32FD1363** के 02 पार्ट्स मय चेसिस नम्बर **MBLHA10AWDHK05996**, 02 अदद एलाय व्हील मय टायर तथा 01 अदद HSRP नम्बर प्लेट बरामद हुई। अभियुक्त अतीक के कब्जे से 01 अदद आरी मय हैक्सा ब्लेड एवं 01 अतिरिक्त हैक्सा ब्लेड भी बरामद किया गया।

बरामद चेसिस नम्बर एवं HSRP नम्बर प्लेट को ई-चालानी एप पर चेक करने पर उनका सम्बन्ध वाहन संख्या **UP32FD1363** से पाया गया।

02-पूछताछ में प्रकाश में आया विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त अमन एवं अमित द्वारा बताया गया कि दोनों ने दिनांक 30.08.2026 को जानकीपुरम क्षेत्र में पार्क के पास खड़ी लाल रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके बाद उक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्त अतीक को **₹4,000/-** में बेच दिया था।

अभियुक्त अतीक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल को कुकरैल जंगल रोड के पास खोलकर उसके पार्ट्स अलग किए गए तथा कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया गया था। शेष पार्ट्स को काटकर बेचने की तैयारी की जा रही थी।

अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक **06.09.2026 को समय करीब 22:40 बजे कुकरैल जंगल रोड से नियमानुसार गिरफ्तार** किया गया।

03-अनावृत अभियोग

01-मु0अ0सं0-339/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **अमन पुत्र वीरेन्द्र सिंह**, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी निकट पानी का प्लांट, कॉलोनी बसन्त बिहार, सिमरागौड़ी, थाना मड़ियांव, लखनऊ।
2. **अमित पुत्र शिव प्रसाद**, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी मुर्गी फार्म के पीछे, बेरी होटल रोड, थाना मड़ियांव, लखनऊ।
3. **अतीक पुत्र मो0 रफीक**, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी निकट गायत्री हॉस्पिटल, मुस्कान पी0सी0ओ0, अलीनगर, थाना मड़ियांव, लखनऊ।

05-बरामदगी

- 02 अदद मोटरसाइकिल पार्ट्स मय चेसिस नम्बर **MBLHA10AWDHK05996**
- 02 अदद एलाय व्हील मय टायर
- 01 अदद HSRP नम्बर प्लेट वाहन संख्या **UP32FD1363**
- 01 अदद आरी मय हैक्सा ब्लेड
- 01 अदद अतिरिक्त हैक्सा ब्लेड

अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है तथा प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

06-गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. **SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र**, थाना गुडम्बा।
2. **उ0नि0 श्री राहुल द्विवेदी**, थाना गुडम्बा।
3. **उ0नि0 श्री दिग्विजय यादव**, थाना गुडम्बा।
4. **उ0नि0 श्री शिवशंकर**, थाना गुडम्बा।
5. **उ0नि0 श्री यशपाल सिंह**, थाना गुडम्बा।
6. **हे0का0 राजन त्रिपाठी**, थाना गुडम्बा।
7. **का0 जगपाल**, थाना गुडम्बा।